क्रम संख्या–110

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, शनिवार, 23 जुलाई, 2016 ई0

श्रावण 01, 1938 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 219/XXXVI(3)/2016/ 46(1)/2016

देहरादून, 23 जुलाई, 2016

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन माननीय राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित "उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2016" पर दिनांक 22 जुलाई, 2016 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 14 वर्ष, 2016 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड विनियोग अधिनियम, 2016

(अधिनियम संख्या 14, वर्ष 2016)

31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिये राज्य की संचित निधि से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए-

अधिनियम

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड विनियोग अधिनियम, 2016 है।

उत्तराखण्ड की समेकित निधि में से वर्ष 2016-17 के लिये रु0404222113000 का दिया जाना

2. उत्तराखण्ड राज्य की संचित निधि में से ऐसे विविध परिव्यय, जो 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ- 2 में दी गयी सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, इतना रुपया दिया और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ 3 में दी हुई धनराशियों, जिन सबका कुल योग (उत्तराखण्ड विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2016 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या-33 वर्ष 2016 भारत सरकार द्वारा पारित) की अनुसूची के स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट धनराशियों को सम्मिलित करके) रुपये404222113000 (रुपये चालीस हजार चार सौ बाईस करोड़ इक्कीस लाख तेरह हजार मात्र) होता है, से अधिक न हो।

विनियोग

3- इस अधिनियम द्वारा उत्तराखण्ड की संचित निधि में से जिन धनराशियों को देने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है उनका विनियोग 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा, जो अनुसूची में दिये गये हैं।

अनुसूची
(धारा 2 और 3 देखें)

अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (धनराशि हजार रुपये में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
1	2		3		
01–	विधान सभा	राजस्व	345018	14659	359677
		पूँजी	152000	0	152000
02–	राज्यपाल	राजस्व	0	89181	89181
		पूँजी	0	0	0
03–	मंत्रिपरिषद	राजस्व	845800	0	845800
		पूँजी	1000000	0	1000000
04–	न्याय प्रशासन	राजस्व	1695460	522150	2217610
		पूँजी	470002	0	470002
05–	निर्वाचन	राजस्व	658680	0	658680
		पूँजी	0	0	0
06–	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	राजस्व	26635807	25937	26661744
		पूँजी	807002	0	807002
07–	वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें	राजस्व	59363391	40105580	99468971
		पूँजी	881349	20322300	21203649
08–	आबकारी	राजस्व	239211	0	239211
		पूँजी	0	0	0
09–	लोक सेवा आयोग	राजस्व	78767	234183	312950
		पूँजी	0	50000	50000
10–	पुलिस एवं जेल	राजस्व	15758783	0	15758783
		पूँजी	200004	0	200004
11–	शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति	राजस्व	64207380	0	64207380
		पूँजी	4990554	0	4990554
12–	चिकित्सा एवं परिवार कल्याण	राजस्व	17641562	0	17641562
		पूँजी	1082517	0	1082517
13–	जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास	राजस्व	10830869	0	10830869
		पूँजी	3787864	0	3787864
14–	सूचना	राजस्व	727196	0	727196
		पूँजी	12500	0	12500
15–	कल्याण योजनायें	राजस्व	14613282	0	14613282
		पूँजी	362807	0	362807
16–	श्रम और रोजगार	राजस्व	2140274	0	2140274
		पूँजी	142464	0	142464
17–	कृषि ऋण एवं अनुसन्धान	राजस्व	8277130	0	8277130

अनुसूची
(धारा 2 और 3 देखें)

अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (धनराशि हजार रुपये में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की सभेकित निधि पर भारित	योग
1	2		3		
		पूँजी	983303	0	983303
18–	सहकारिता	राजस्व	479191	0	479191
		पूँजी	69524	0	69524
19–	ग्राम्य विकास	राजस्व	11128161	0	11128161
		पूँजी	7721037	0	7721037
20–	सिंचाई एवं बाढ़	राजस्व	4616546	0	4616546
		पूँजी	7698800	0	7698800
21–	ऊर्जा	राजस्व	156612	0	156612
		पूँजी	4806402	0	4806402
22–	लोक निर्माण कार्य	राजस्व	6916991	73000	6989991
		पूँजी	16145733	0	16145733
23–	उद्योग	राजस्व	2094816	0	2094816
		पूँजी	1467601	0	1467601
24–	परिवहन	राजस्व	641611	0	641611
		पूँजी	600003	0	600003
25–	खाद्य	राजस्व	3472658	0	3472658
		पूँजी	120360	0	120360
26–	पर्यटन	राजस्व	585503	0	585503
		पूँजी	1878003	0	1878003
27–	वन	राजस्व	6463835	0	6463835
		पूँजी	1551507	0	1551507
28–	पशुपालन सम्बन्धी कार्य	राजस्व	2589860	0	2589860
		पूँजी	41001	0	41001
29–	औद्यानिक विकास	राजस्व	2531356	7797	2539153
		पूँजी	0	0	0
30–	अनुसूचित जातियों का कल्याण	राजस्व	12286828	0	12286828
		पूँजी	3232318	0	3232318
31–	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	राजस्व	3408915	0	3408915
		पूँजी	1141178	0	1141178
	योग–	राजस्व	281431493	41072487	322503980
		पूँजी	61345833	20372300	81718133
	महायोग		342777326	61444787	404222113

आज्ञा से,

आर0सी0 खुल्वे,
प्रमुख सचिव।

उद्देश्य एवं कारण

भारत का संविधान के अनुच्छेद, 202 के अधीन दिनांक 11 मार्च, 2016 को राज्य विधानसभा में वर्ष 2016–17 के लिए राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण रखा गया था। विभिन्न अनुदानों की मांग श्री राज्यपाल की सिफारिश पर की गई थी, जिसे राज्य विधानसभा द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2016 से 18 मार्च, 2016 की अवधि में पारित किया गया।

2. दिनांक 18 मार्च, 2016 (कार्य सूची के मद सं0 25,26,27 और 28) को उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2016 सदन के पटल पर पुरःस्थापित किया गया था और उसी दिन उस पर विचार किया गया तथा विचारोपरान्त उक्त विधेयक को पारित कर दिया गया।

3. दिनांक 27 मार्च, 2016 को राज्य में भारत का संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत श्री राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषणा जीएसआर 341(ई) जारी हो गयी थी। विधानसभा द्वारा पारित उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2016 को भारत का संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन श्री राज्यपाल की अनुज्ञा हेतु दिनांक 28 मार्च, 2016 को संदर्भित किया गया था। श्री राज्यपाल द्वारा उक्त विधेयक को भारत का संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन श्री राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख कर पत्र के साथ भारत सरकार को संदर्भित कर दिया गया। विनियोग विधेयक पर अद्यतन कोई अनुमति प्राप्त नहीं हो सकी है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा श्री राज्यपाल एवं भारत सरकार से अनुरोध भी कर लिया गया है।

4. अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत श्री राष्ट्रपति की उद्घोषणा द्वारा यह घोषित करने पर कि राज्य की विधानसभा की शक्तियाँ संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोक्तव्य (exercisable) होगी, संसद द्वारा" उत्तराखण्ड विनियोग (लेखानुदान) अध्यादेश, 2016" ₹ तेरह हजार छह सौ बयालिस करोड़ तैंतालिस लाख पचासी हजार के लिए प्रख्यापित किया गया एवं तत्पश्चात् "उत्तराखण्ड विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2016 (अधिनियम सं0–33 वर्ष 2016)" ₹ तेरह हजार छह सौ बयालिस करोड़ तैंतालिस लाख पचासी हजार के लिए अधिनियमित किया गया। अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत की गयी राष्ट्रपति की उद्घोषणा को दिनांक 11.05.2016 को वापस ले लिया गया है।

5. रिट याचिका (सिविल) सं0 795 वर्ष 2016 में दिनांक 21.04.2016 को मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत जारी राष्ट्रपति की उद्घोषणा को अपास्त करते हुए अवधारित किया गया " We would think that we should proceed on the basis that the Money Bill has been declared as passed." मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दिनांकित 21.04.2016 के

विरूद्ध भारत संघ ने मा0 उच्चतम न्यायालय के समक्ष विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) सं0- 11667 वर्ष 2016 प्रस्तुत की है, जो विचार के लिए मा0 उच्चतम न्यायालय के समक्ष लम्बित है। मा0 उच्चतम न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश दिनांक 11.05.2016 में उल्लेख किया है, "..... the issue of justifiability of the proclamation of President's Rule that was made on 27.03.2016 which has been annulled by the impugned order passed by the High Court will remain alive....."

6. अध्यादेश, 2016 प्रख्यापित होने तथा तत्पश्चात् अधिनियम सं0 33 वर्ष 2016 अधिनियमित होने के दृष्टिगत् राज्य सरकार का अभिमत है कि राज्य की विधानसभा द्वारा विधिवत् विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद केन्द्र सरकार द्वारा अध्यादेश, 2016 प्रख्यापित किया गया तथा उसका प्रतिस्थानी अधिनियम, 2016 अधिनियमित किया गया। दिनांक 18 मार्च, 2016 को उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2016 के पारित होने संबंधी तथ्य संवैधानिक संस्थाओं के समक्ष राज्य सरकार द्वारा रखा जा चुका है।

7. राज्य सरकार के मतानुसार राज्य विधानसभा द्वारा विनियोग विधेयक को वैद्य रूप से पारित किया गया था तथा मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा भी मनी बिल को वैद्य रूप से पारित होना पाया गया, जब कि मा0 उच्चतम न्यायालय के समक्ष यह विषय विचाराधीन है। अस्तु, प्रतिस्थानी उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित किया जाना आवश्यक हो गया है।

8. लेखानुदान के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2016–17 के एक भाग के लिए वित्तीय व्यवस्थ है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के शेष भाग के लिए वित्तीय व्यवस्था करना संवैधानिक आवश्यकता है तथा लोक कल्याणकारी राज्य को चलाने के लिए यह एक संवैधानिक बाध्यता भी है।

9. उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2016 के पारित होने के तथ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना लेखानुदान को समायोजित करते हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष के शेष भाग के लिए यथा प्रतिस्थानी उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2016 एहतियात स्वरूप पुरःस्थापित किया जा रहा है ताकि राज्य का वित्तीय हित संरक्षित रहे एवं इसे किसी प्रकार के संकट से बचाया जा सके।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 17 विधायी/385–2016–100+500 (कम्प्यूटर/रीजियो)।